

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - वित्तौडगाढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - निखारडा.....)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 845 तारख दिनांक 05.10.2025 निर्णय दिनांक 9/10/25

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



क्र.नं..	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>निखारडा</u>	<u>318</u>	महोदय जी निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.स.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>निखारडा</u> प.ह. <u>निखारडा</u> खतासं. <u>318</u> में वर्तमान प्रविष्ट बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	
			बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक	राजस्थान ग्रामीण बैंक	
			हस्ताक्षर पटवार <u>पटवार निखारडा</u>	हस्ताक्षर गिरदावर	
			हस्ताक्षर पटवार <u>पटवार निखारडा</u>	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	
			प्रतिलिपि पालनार्थ:- <u>तह. कपासन (वित्तौडगाढ)</u>		पदेन सहायक कलक्टर कपासन

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन
 तहसीलदार कपासन
तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 कपासन जिला-वित्तौडगाढ

1118